कार्यालय जिला पंचायत, मन्दसौर (म.प्र.)
आवेदन पत्र

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, मन्दसौर (म.प्र.)

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

1. पद जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है – **उपयंत्री (सिविल)**
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) ....
3. पिता/पति का नाम (हिन्दी में)..
4. वर्ग – सामान्य [ ] अ. जाति [ ] अ.ज. जाति [ ] अ.पि.व. [ ]
5. लिंग महिला Female [ ] पुरूष Male [ ]
6. जन्मतिथि

दिनांक		माह		वर्ष			

7. दिनांक 01–02–2010 को आयु

वर्ष	माह	दिन

8. पत्र व्यवहार का पता ....
जिला .... प्रदेश .... पिन कोड ....
9. दूरभाष एस.टी.डी. कोड नं. .... फोन नं. .... मोबाईल नं. ....
10. शैक्षणिक योग्यता

क्रं.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/ वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत	रिमार्क
अ.	उच्चतर माध्यमिक (हायर सेकण्डरी)						
ब.	सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा						
स.	सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री						
द.	अन्य						

11. कार्य अनुभव

क्रं.	पदनाम जिस पर कार्य किया	नियोक्ता कंपनी/संस्था/ शा.विभाग/कार्या. का नाम	अवधि	कुल अवधि	वेतनमान/वेतन
			.... से .... तक		
			.... से .... तक		
		कुल अवधि का योग			

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ कृपया निम्नलिखित प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें एवं सामने वाले बाक्स में ☑ का निशान लगायें।

1. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की अंकूसची [ ]
2. स्नातक परीक्षा की अंकसूची [ ]
3. स्नातकोत्तर परीक्षा की अंकसूची [ ]
4. डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग [ ]
5. यदि आरक्षित वर्ग के हो तो स्थायी जाति प्रमाण–पत्र की प्रति [ ]
6. अनुभव के प्रमाण पत्र [ ]
7. सेवानिवृत्त हो तो पूर्ण विवरण [ ]
8. मूल निवासी का प्रमाण पत्र [ ]

घोषणा

मैं .... घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य या अपूर्ण होने पर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ....

कार्यालय अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, मन्दसौर (म.प्र.)

क्रमांक / स्था. / एन.आर.ई.जी.एस. / 2010 मन्दसौर, दिनांक / 03 / 2010

प्रति,

आयुक्त,
जनसम्पर्क संचालनालय,
बाणगंगा रोड़, भोपाल (म.प्र.)

विषय – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. अन्तर्गत मन्दसौर जिला स्तर से जनपद पंचायतों में संविदा उपयंत्रियों की भर्ती के विज्ञापन के प्रकाशन बाबत्।

--- 0 ---

उपरोक्त विषयान्तर्गत मन्दसौर जिले की जनपद पंचायतों में संविदा उपयंत्रियों की भर्ती के विज्ञापन संलग्न कर आपकी ओर भेजा जा रहा है। जिसे प्रदेश के किसी एक समाचार पत्र में जिसका प्रसारण मन्दसौर में भी हो में न्यूनतम आकार में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

विज्ञापन के प्रकाशन उपरान्त देयक भुगतान के लिए जिला पंचायत, मन्दसौर को भेजने का कष्ट करें।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, मन्दसौर (म.प्र.)

कार्यालय जिला पंचायत, मन्दसौर (म.प्र.)

क्रमांक / स्था. / 2010 मन्दसौर, दिनांक 20 / 04 / 2010

/ /संक्षिप्त विज्ञप्ति/ /

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. के लिए जिला पंचायत, मन्दसौर अन्तर्गत पॉँच जनपद पंचायत स्तर हेतु 17 उपयंत्री के पदों पर संविदा के आधार पर पूर्ति की जाना है। जिसमें 12 पद अनारक्षित, 1 पद अनुसूचित जाति एवं 4 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। **शैक्षणिक योग्यता** – सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा / डिग्री तथा निर्माण कार्य का अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी। **आयु** – नवीन अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 01–02–2010 की स्थिति में 21 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, सेवानिवृत्त अधिकारियों की अधिकतम आयु 65 वर्ष तक मान्य की जाएगी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन नियमानुसार छूट की पात्रता रहेगी। नवीन संविदा उपयंत्री को 5000–8000 वेतनमान एवं समय–समय पर शासन द्वारा देय भत्ते शामिल होंगे एवं सेवानिवृत्त अभ्यर्थी को शासन नियमानुसार वेतन देय होगा। विस्तृत विज्ञप्ति, सेवा शर्तें एवं आवेदन का प्रारूप जिला पंचायत, मन्दसौर कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया गया है। आवेदक निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन जिला पंचायत, मन्दसौर में अंतिम तिथि 05 मई 2010 तक प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन डाक एवं समक्ष (बन्द लिफाफे) में मान्य किये जावेंगे। अंतिम तिथि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण एवं आवेदन का प्रारूप जिले की वेब साईट www.mandsaur.nic.in पर उपलब्ध है।

अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, मन्दसौर (म.प्र.)

संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :–

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति के सम्बन्ध में जारी आदेश/संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।
2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को मूलवेतन के साथ महंगाई भत्ता जोड़कर संविदा पारिश्रमिक देय होगा। सेवानिवृत्त अधिकारी (अधिकतम आयु 65 वर्ष तक) को संविदा पर नियुक्त की दशा में संविदा वेतन के रूप में उसे प्राप्त अंतिम वेतन के बराबर देय राशि में से प्राप्त हो रही पेंशन की राशि को कम कर भुगतान की जावेगी।
3. संविदा के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिए होगी। संविदा में नियुक्त व्यक्ति का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जावेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम–1965 और उसमें किये गये अद्यतन संशोधनों द्वारा शासित होगा।
5. संविदा की कालावधि नियुक्त तिथि से 2 वर्ष के लिए रहेगी।
6. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सम्बन्धी मूल अभिलेख एवं दो फोटो प्रस्तुत करना होंगे।
7. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार नियुक्ति प्राधिकारी के साथ रूपये 50/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करेगा (करार के निष्पादन पर होने वाले समस्त व्यय चयनित उम्मीदवार द्वारा वहन किये जायेंगे)। इस नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ ही साथ चयनित उम्मीदवारों को उसकी 03 माह के वेतन की धनराशि के समतुल्य राशि का बाण्ड भी भरकर कार्य पर उपस्थित होने के 07 दिन के भीतर सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस बाण्ड के आधार पर उम्मीदवार को शासन को यह गारंटी देनी होगी कि यदि वह संविदा नियुक्ति काल पूरा होने के पूर्व पद से त्यागपत्र देकर अन्यत्र कोई पद ग्रहण करता है, तो वह उक्त बाण्ड में उल्लेखित धन राशि का देनदार होगा।
9. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के सम्बन्ध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जायेगी।
10. दो (2) वर्ष की संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त कार्य कुशलता एवं किये गये कार्य के मूल्यांकन के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो आगामी वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।
12. संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक से 10 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।
13. संविदा पर नियुक्त अधिकारी को आधारभूत एवं जाब से सम्बन्धित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर संविदा सेवा समाप्त की जावेगी।

14. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।
15. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी सम्पादित करने होंगे।
16. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानो/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्गित तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
17. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
18. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यात्रा भत्ते की सुविधा शासन के नियमानुसार देय होगी।
19. दो वर्ष सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने के बाद संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवा नियोजक/नियोक्ता के एक माह के पूर्व नोटिस के आधार पर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा/भुगतान कर समाप्त हो सकेगी।
20. चयनित उम्मीदवार, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा, यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है, तो बिना कारण बताए नियुक्ति रद्द कर दी जावेगी।
21. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि पात्रता होगी।
22. संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी भविष्य में नियमितीकरण सम्बन्धी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारक होगा।